भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1229

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2023

एमएसएमई के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार

1229. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बेहतर वित्तीय पहुंच के बिना इस क्षेत्र को आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य एक चुनौती बना रहेगा;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र समग्र रूप से बैंक ऋण का 6 प्रतिशत से कम हिस्सा प्राप्त करता है, सरकार द्वारा किए गए और किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): सरकार ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय किए हैं। हाल ही में किए गए उपाय निम्नानुसार है:

(i) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, दिनांक 13.05.2020 को एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आरम्भिक 3 लाख करोड़ रुपए, जिसे बढ़ाकर बाद में 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, की गारंटी कवरेज के साथ आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 30.11.2020 तक थी। इसके बाद, इसे दिनांक 29.09.2021 को 1.5 लाख करोड़ रुपए के समावेशन द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक, तदोपरांत दिनांक 01.02.2022 को 50,000 करोड़ रुपए के समावेशन के साथ दिनांक 31.03.2023 तक इसका विस्तार किया गया था। एमएसएमई सहित व्यवसायों को 3.60 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गई हैं। इसमें से, 2.38 लाख करोड़ रुपए राशि की 1.13 करोड़ गारंटियां एमएसएमई को प्रदान की गई हैं।

(ii) आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन किया गया है। इस स्कीम में भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वैंचर कैपिटल फंडस के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के लाभ का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाईयों को वृद्धिशील पूंजी प्रदान करना है। दिनांक 31.12.2022 तक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ 34 डॉटर फंडों को सूचीबद्ध किया है और 2,790 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा 140 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

(iii) एमएसएमई के लिए नया संशोधित मानदंड।

(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।

(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी "उद्यम पंजीकरण"। उद्यम पोर्टल पर 10.03 करोड़ रोजगार के साथ कुल 1.40 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं।

(vi) एमएसएमई की शिकायत निवारण और हैंडहोल्डिंग सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करते हुए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" की शुरुआत की गई।

(vii) दिनांक 02.07.2021 से रिटेल और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

(viii) एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभ का विस्तार।

(ix) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्रदान करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। अब तक, 12.87 लाख आईएमई पंजीकृत हुए हैं।

(x) बजट 2023-24 में क्रेडिट लागत में कमी के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई में 9,000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है।

******